>

Title: Regardign inclusion of seventeen backward castes in Uttar Pradesh in the list of SCs.

साध्वी निरंजन ज्योति : माननीय सभापति महोदय, इस ज़ीरो आवर में आप ने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस लोक सभा में पहली बार बोलने के लिए खड़ी हुई हूं और मैं पिछड़े हुए समाज के लिए बोलने के लिए खड़ी हुई हूं।

महोदय, ऐसी जातियां हैं, जो गंगा, यमुना नदियों के किनारे निवास करने वाली जातियां हैं, जिनका व्यवसाय मोरम, मछली पकड़ना, नदियों के किनारे सब्जी उत्पन्न कर के अपने बच्चों का पालन-पोषण करने का था। उनका यह व्यवसाय पूरा-का-पूरा छिन गया। ट्रकों से, ट्रेनों से जब व्यवसाय होने लगा तो उनका नदियों के माध्यम से व्यवसाय छिन गया।

माननीय सभापति महोदय, ये सतूह जातियां हैं जिनमें निषाद, बिंद, कश्यप, मांझी, कहार, प्रजापति, मल्लाह, केवट, राजभर, भर, धीवर, कुम्हार, तुरहा, बियार, गौड़, बाथम, मछुआ इत्यादि हैं। ये सारी की सारी जातियां जिनके बारे में वर्ष 2005 में उत्तर प्रदेश सरकार में तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह ने यह घोषणा की थी कि हम इन को अनुसूचित जाति में शामिल करेंगे। मुझे लगा कि ये सचमुच में शामिल करना चाहते हैं। अब इस समाज को न्याय मिलेगा। यह समाज जो शैक्षिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, मुझे लगा कि इस समाज को न्याय मिलेगा।

महोदय, केन्द्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। उसको मुलायम सिंह जी समर्थन दे रहे थे। हम वर्ष 2005 से लेकर वर्ष 2007 तक प्रतीक्षा करते रहे कि ये करेंगे, पर उन्होंने नहीं किया। तत्कालीन कांग्रेस की जो सरकार थी, मुझे लगा कि यहां उठाए गए मुद्दे पर कांग्रेस सरकार इस समाज को न्याय दिलाएगी। वर्ष 2012 में जब मैं विधान सभा में पहुंची तो मैंने अपना क्वैश्चन लगाकर सपा सरकार के मुख्य मंत्री से पूछा, परन्तु उत्तर नहीं मिला।

HON. CHAIRPERSON : You come to the specific point.

साध्वी निरंजन ज्योति : मैं कहना चाहती हूं कि इस समाज को न्याय मिले क्योंकि यह पिछड़ा हुआ समाज मोरम माफियाओं के कारण नदियों के किनारे बाड़ी लगा कर अपना जीवन-यापन नहीं कर सकते। नौकाओं का जो ठेका होता है, उन ठेकों में भी बाहरी लोग, अन्य समाज के लोग लेने लगे। मछली पकड़ने के लिए भी अन्य समाज के लोग ठेका लेने लगे।

महोदय, मैं आप के माध्यम से इस समाज के लिए न्याय की मांग करती हूं कि इन को अनुसूचित जाति में शामिल करें। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में, दिल्ली में व अन्य प्रांतों में हैं, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में इन सतूह जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर के न्याय दिलाया जाए।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : महोदय, अगर माननीय सदस्य इन जातियों की सूची हमें दे देती हैं तो अच्छा होगा।